रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2003/ज्येष्ठ 5, 1925
No. 477] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2003/JYAISTHA 5, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2003

का.आ. 599(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने बोर्ड के परामर्श से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के का.आ. 32 (अ) तारीख 10-1-2003 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया है। उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

1क	अपर सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली-110003।	—सदस्य

[फा.सं. 25/1/2003-ए डब्ल्यू डी]

राजेन्द्र पी. अग्रवाल, वन महानिरीक्षक

टिप्पणी :— पशुओं पर परीक्षणों के नियंत्रण और अधीक्षण के प्रयोजन से समिति के संबंध में पहले जारी की गई अधिसूचनाएं :—

(1) सं. सा.का.नि. 238 दिनांक 8-2-1991

(2) सं. 7-7/94 ए डब्ल्यू दिनांक 23-2-1996

(3) सं. का.आ.140 (अ) दिनांक 17-2-2000

(4) सं. का.आ. 547 (अ) दिनांक 25-5-2000

(5) सं. का.आ. 894 (अ) दिनांक 7-9-2001

(6) सं. का.आ. 32 (अ) दिनांक 10-1-2003

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2003

S.O. 599(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, S.O. 32(E) dated 10-1-2003. In the said notification after serial No. 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

1A	Additional Secretary (Animal Welfare) Ministry of Environment & Forests, New Delhi-110003.	—Member

[F. No. 25/1/2003-AWD]

RAJENDRA P. AGARWALLA,
Inspector General of Forests

Note :— The following notifications were issued earlier in relation to the Committee for the purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals :—

(1) No. GSR. 238 dated 8-2-1991

(2) No. 7-7/94 AW dated 23-2-1996

(3) No. S.O. 140 (E) dated 17-2-2000

(4) No. S.O. 547 (E) dated 25-5-2000

(5) No. S.O. 894 (E) dated 7-9-2001

(6) No. S.O. 32 (E) dated 10-1-2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.